

राजस्व अपील संख्या 701/2022

अनवान

श्रीमती पुष्पा वगैराह बनाम राज0 सरकार

दिनांक 23-12-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट, जिला जोधपुर के द्वारा राजस्व क्रमांक/प्र0ग0सं/2021/1104 दिनांक 20.12.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांत अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांत की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट, जिला जोधपुर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 20.12.2021 के क्रम में तहसीलदार, लोहावट को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच करे तथा मौका रिपोर्ट तैयार करे। उक्त मौका रिपोर्ट, मौका फर्द व पक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात उपखण्ड अधिकारी, लोहावट प्रकरण का निस्तारण करें। उक्तानुसार मौका विजिट व सुनवाई पश्चात यदि आवश्यक हो तो संशोधित निर्णय पारित करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशों के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० सहायकी आयुक्त
जोधपुर